# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 46 / 2021 / बाड़मेर**

**अपीलांट**

1. सलूराम पुत्र दुर्गाराम
2. अचलाराम पुत्र दुर्गाराम
3. शेराराम पुत्र दुर्गाराम
4. हरचंद पुत्र दुर्गाराम
5. हुकमाराम पुत्र तगाराम

**रेस्पोडेंटगण**

**बनाम** 1.फूसाराम गोदपुत्र खेराजराम
2.दमाराम पुत्र वल्द लुम्वाराम जातियान जाट निवासीयान आकड़ली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3.खेताराम पुत्र राणाराम
4.वाली वेवा राणाराम
5.हरजीराम पुत्र तगाराम
6.जैताराम पुत्र तगाराम
7.जुगताराम पुत्र तगाराम
8.धन्नाराम पुत्र लुम्वाराम
9.जीवाराम पुत्र लुम्वाराम
10.खुमाराम पुत्र भूराराम
11.केसी पत्नी जोराराम
12.जुगताराम पुत्र जोराराम जातियान जाट निवासीयान आकड़ली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
13 / 1राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 76 / 2000 बअनवान फूसाराम बनाम खेताराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पूनमाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 14.07.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एक दावा घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवाडा का पेश किया जिसमें गांव सुथारों की ढाणी के खसरा नं. 27, 169, 201, 147, 199, 200 ग्राम साजियाली मूलराज के खसरा नं. 03, 27 ग्राम लूम्बाणियों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ढाणी के खसरा संख्या 193, 201, 209, 213, 210, 201 ग्राम लापून्दड़ा मलवेवान के खसरा नं. 244, 235 उपरोक्त खसरान में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा पेश हस्तगत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प आकड़ली में दिनांक 31.05.2018 को निर्णित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण में वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 31.05.2018 को रेस्पोडेंटस व अपीलांटगण के बीच में आपसी समझाईश की गई जिसमें आपसी राजीनामा में एकमात्र शर्त रखी गयी थी ओर इसी आधार पर आपसी राजीनाम तय किया गया था, जिसमें खेत खसरा नम्बर 27 रकबा 74.08 बीघा भूमि सरहद मौजा सुथारों की ढाणी की भूमि में रकबा 50 बीघा भूमि रेस्पोडेंटस संख्या 01 फुसाराम को देना तय किया गया एवं शेष खसरान में राजस्व रेकर्ड व दर्ज खातेदारी अनुसार अपासी बंटवाड़ा मौके पर काबिज अनुसार करने बाबत अपासी राजीनामा किया गया था, जबकि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2018 को टाईप करते वक्त तथ्यात्मक भूल से राजस्व रेकर्ड की शेष भूमि में वादी संख्या 02 ता 12 प्रत्येक का 1/7–1/7 वंशावली अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये वाद में रेस्पोडेंटस द्वारा कोई किसी प्रकार की घोषणा की इस्तदुआ नही मांगी गयी थी। वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 67 बीघा व खसरा नंम्बर 27 रकबा 172.17 बीघा भूमि में से स्व. खीमारा पुत्र श्री लुम्बाराम अर्थात रेस्पोडेंटस संख्या 03 व 04 के दादा व दादा ससुर के द्वारा उक्त खसरान में हिस्सा 1/8 दिनांक 20.03.1982 उप पंजीयन कार्यालय पचपदरा से पंजीयन क्रमांक 11/82 के जरिये अपना सम्पूर्ण हिस्सा तुलछीदेवी पत्नी मूलारामजी जाति जाट को बेचान कर दी गयी थी। तत्पश्चात तुलछीदेवी पत्नी मूलाराम का उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में 1/8 हिस्सा में नाम इन्द्राज हो गया। तुलछीदेवी द्वारा उक्त खसरान में हिस्सा 1/8 अपीलांट संख्या 05 हुकमाराम पुत्र श्री तगाराम को दिनांक 21.01.1987 को रजिस्टरी क्रमांक 32/87 उप पंजीयन कार्यालय पचपदरा से जरिये रजिस्टरी बेचान किया गया जिस पर नामान्तरकरण संख्या 109 के जरिये तुलछीदेवी का नाम हटाकर उसके स्थान पर हुकमाराम पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

श्री तगाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। जिससे अपीलांट संख्या 05 को उपरोक्त खसरान में खरीद किया गया हिस्सा 1/8 व पैतृक हिस्सा 1/8 में से 1/4 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं उसी माफिक बंटवाडा करवाने का निवेदन किया था। वर्तमान में उक्त हिस्सा अपीलांट संख्या 05 की खातेदारी है जो जरिये रजिस्टरी खरीद की गयी थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही बंटवाडा करवाने चाहते है एवं राजस्व रेकर्ड में बिना किसी रदोबदल किये बंटवाडा हेतु राजस्व कैम्प में निवेदन किया था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक भूल करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को नोटिस दिया गया। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबावदावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार जारी की गई जिस पर अपीलांटगण स्वयं के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा के तहत जारी की गई जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। लोक अदालत अधिनियम की धारा 21 व 22 में यह प्रावधित किया गया है कि लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी। अपीलांटगण द्वारा उतरदातागण को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRD 2019 Page 672
RRT 2016-17(Supp.) Page 714

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2018 की पालना दिनांक 09.07.2021 को तहसीलदारजी गिड़ा द्वारा डिक्री पर्चा लेकर अपीलांटगण की भूमि पर आये एवं कब्जा अनुसार बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तब तहसीलदार गिड़ा द्वारा बताया कि आपके समझौते के मुताबिक विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया गया है तब अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की प्रमाणित नकले दिनांक 22.07.2021 को प्राप्त की तब प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट व अपीलांटगण को बीच में राजस्व कैम्प में किये गये आपसी समझौते के मुताबिक निर्णय नहीं किया गया है एवं वाद में रेस्पोडेंटस द्वारा मांगी रिलिफ अनुसार कोई निर्णय नहीं हुआ है एवं आपसी समझौते से हटकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसे निरस्त करवाने एवं प्रकरण में खातेदारी के मुताबिक व राजस्व रेकर्ड के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में पनः सुनवाई करवाने हेतु अपील पेश की है जिसमें अपीलांटगण द्वारा जानबुझकर किसी प्रकार की देरी नहीं की है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाव अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील को सुदीर्घ अविध के पश्चात राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की उपस्थिति में पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांटगण की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 31.05.2018 को रेस्पोडेंटस व अपीलांटगण के बीच में आपसी राजीनाम तय किया गया था, आपसी समझौते से हम बंटवारा करने में सहमत हुए है जिसमें फूसाराम को 50 बीघा भूमि देने की सहमति हुई है तब तक सम्पूर्ण भूमि में उपरोक्त वंशावली वृक्ष अनुसार समझौते से निर्धारित किए गए हिस्से अनुसार रहेगा। इस अनुसार हिस्सा घोषित करने का निवेदन है इसी अनुसार बाई बीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा भी किया जावे। इस आशय का राजीनामा पेश किया गया। उपरोक्त राजीनामा में वादी फूसाराम को किस खसरा में 50 बीघा भूमि देना तय हुआ स्पष्ट अंकित नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 67 बीघा व खसरा नंम्बर 27 रकबा 172. 17 बीघा भूमि में से स्व. खीमाराम पुत्र श्री लुम्बाराम अर्थात रेस्पोडेंटस संख्या 03 व 04 के दादा व दादा ससुर के द्वारा उक्त खसरान में हिस्सा 1/8 दिनांक 20.03. 1982 उप पंजीयन कार्यालय पचपदरा से पंजीयन के जरिये अपना सम्पूर्ण हिस्सा तुलछीदेवी पत्नी मूलारामजी जाति जाट को बेचान कर दी गयी थी। तत्पश्चात तुलछीदेवी पत्नी मूलाराम का उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। तुलछीदेवी द्वारा उक्त खसरान में हिस्सा 1/8 अपीलांट संख्या 05 हुकमाराम पुत्र श्री तगाराम को दिनांक 21.01.1987 को रजिस्टरी क्रमांक 32/87 उप पंजीयन कार्यालय पचपदरा से जरिये रजिस्टरी बेचान किया गया जिस पर नामान्तरकरण संख्या 109 के जरिये तुलछीदेवी का नाम हटाकर उसके स्थान पर हुकमाराम पुत्र श्री तगाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया (अपील की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां के अनुसार)। उभयपक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष पेश राजीनामा को पीठासीन अधिकारी तस्दीक नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा में अपीलांट हुकमाराम के हिस्सों को लेकर कमियां रह गई जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ राजीनामा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/2000 बअनवान फूसाराम बनाम खेताराम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, अपीलांट संख्या 05 के पक्ष में हुए बेचान, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड तथा उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर